

पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन एवं सूचनाएँ

(अंतिम तैनात शाखा के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि वे अपने प्रादेशिक कार्यालय के माध्यम से उनकी अनुशंसा सहित हमें प्रेषित कर सकें।)

पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र
पारिवारिक सदस्यों की
फोटो चिपकाएँ।

मुख्य प्रबंधक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
पेंशन विभाग,
एफ-14/15, शिवम् हाउस,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001

(चिपकाई गई फोटो, शाखा प्रभारी द्वारा
सत्यापित होनी अनिवार्य है।)

महोदय,

विषय : मेरे पति/पत्नी स्व. श्री/श्रीमती.....भूतपूर्व.....से संबंधित पारिवारिक-पेंशन स्वीकृति हेतु सूचनाएँ

मैं.....(आवेदक का नाम), आपके समक्ष अधोलिखित सूचनाएँ प्रेषित कर रहा/रही हूँ कि :-

1. मेरे पति / मेरी पत्नी का दि.....को देहांत हो गया है।
2. मेरे तथा मेरे पति / मेरी पत्नी के बीच कोई मतभेद अथवा कानूनी तलाक आदि नहीं था।
3. मेरे द्वारा पति / पत्नी की मृत्यु के पश्चात् दोबारा विवाह नहीं किया गया है। इस विषय में, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि, पुन-विवाह की स्थिति आने पर मैं अविलंब बैंक को सूचित करूँगा/करूँगी।
4. मेरे तथा मेरे पति/मेरी पत्नी से संबंधित बच्चों एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों का ब्यौरा :-

सदस्य का नाम	संबंध	जन्म तिथि	आयु
-----	-----	-----	-----

5. मैं शाखा कार्यालय.....से पेंशन प्राप्त करना चाहता / चाहती हूँ।
6. मैं, मेरे पति / पत्नी द्वारा बैंक के प्रति कोई भी देय राशि, वसूल करने हेतु बैंक को प्राधिकृत करता / करती हूँ।

इस आवेदन पत्र के साथ मैं अधोलिखित दस्तावेजों की फोटोप्रतियाँ संलग्न कर रहा/रही हूँ :-

1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि
3. बच्चों से संबंधित जन्म तिथि प्रमाण-पत्र
4. रक्षा पेंशन संवितरण बैंक द्वारा, सेना संबंधित पारिवारिक पेंशन प्रदान न करने संबंधित प्रमाण-पत्र। (भूतपूर्व सेनानियों के संबंध में लागू)
5. पारिवारिक पेंशन बैंक से प्राप्त हेतु विकल्प एवं रक्षा पेंशन कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु प्रमाण-पत्र जो कि मेरे द्वारा हस्ताक्षरित हैं

आपसे अनुरोध है कि मेरे पक्ष में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का कष्ट करें।

वर्तमान स्थायी पता:-.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दूरभाष/टेलिफोन नं.....

नोट :- 1. पारिवारिक पेंशन हेतु हकदार पारिवारिक सदस्यों का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।

2. फोटो चिपकाने के पश्चात् शाखा प्रभारी फोटो एवं संलग्न दस्तावेज सत्यापित करना सुनिश्चित करें, एवं प्रा.का. के माध्यम से पेंशन विभाग को अविलंब प्रेषित करें।

3. भूतपूर्व सेनानियों के संबंध में रक्षा पेंशन संवितरण बैंक द्वारा, सेना संबंधित पारिवारिक पेंशन प्रदान न करने संबंधित प्रमाण-पत्र आवश्यक है।